

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/2751/

जबलपुर, दिनांक 31/05/2019

कु. आयुषी ठाकुर आत्मजा श्री अमर सिंह ठाकुर को आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के पद पर जिलाध्यक्ष जबलपुर द्वारा निर्धारित दर पर 89 दिन के लिये नियुक्त करते हुये उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर पदस्थ किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
for

पृष्ठांकन क्र B/2752/

जबलपुर, दिनांक 31/05/2019

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/कम-पीपीएस., उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी, स्था./लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र , जबलपुर,
9. सहायक, स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ./प्रोटोकॉल ऑफीसर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. कु. आयुषी ठाकुर आत्मजा श्री अमर सिंह ठाकुर, मकान नं. 983, बापु नगर, रांझी, जबलपुर(म.प्र.),

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(यू. एस. दुबे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.
for

